अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
1. आंध्र प्रदेश	• सभी सरकारी स्कूलों में सभी प्राथमिक शिक्षा के छात्रों के लिए पुस्तकों के वितरण के साथ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। • राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। • चुने हुए 5000 हाई स्कूल और जूनियर कॉलेजों के सभी छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव। • आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन सेवा और नियत दिवस स्वास्थ्य सेवा शुरू की गयी है। • वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए प्रति माह 500 रुपये की मासिक पेंशन गारंटी योजना 'अभय हस्तम' शुरू की है।	• गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राजीव आवास योजना शुरू की गयी है। • एपी रोड क्षेत्र परियोजना शुरू की गई है। • रु. 4,607 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आठ लेन वाले प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के 158 कि.मी. लंबे बाहरी रिंग रोड के निर्माण के साथ हैदराबाद शहर को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए पहल।	• प्रधानमंत्री रोजगार योजना और राजीव युवा शक्ति योजना के तहत सहकारी समितियों के बुनकरों और स्वतंत्र बुनकरों को स्वीकृत ऋण की एक बारगी छूट। • उद्योगों और व्यापार वर्ग को अपना कामकाज करने के लिए प्रक्रिया, नियमों, निरीक्षण, पंजीकरण और एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली के सरलीकरण के लिए पर प्रयास चल रहे हैं।	–
2. अरुणाचल प्रदेश	• शिक्षकों और डाक्टरों के लिए आवासीय क्वार्टर के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। • पंचायत नेताओं की गतिशीलता के लिए उनको कुछ भत्ता प्रदान करें। • 'आशा', 'दाई' और 'मेडिक' के लिए 500 रुपये का मासिक निर्धारित मानदेय प्रदान करना। • बाल पुनर्वास, विकलांग व्यक्तियों और पोषण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान देना तथा अरुणाचल प्रदेश समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को वित्तीय सहायता देना। • विकास तथा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।	• भारी सड़क विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 1,800 किलोमीटर अरुणाचलपारीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके 513 अतिरिक्त गांवों को दो लेन वाले राजमार्गों से जोड़ा जाएगा।	• तम्बाकू उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत वैट लगाने के लिए प्रस्ताव। • बहुत से उत्पादों के संबंध में वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।	• नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के बीच भारी क्षमता निर्माण के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 300 लाख रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव। • राष्ट्रीय स्तर के खेल में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक की उपलब्धि हासिल करने के लिए 10 लाख, 5 लाख और 2 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की स्थापना की गई है। • खेल और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सांगे ल्हादेन अकादमी के लिए रु. 3.0 करोड़ रुपये की आधारभूत निधि सृजित की गयी है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
3. असम	• विभिन्न स्वदेशी जनजातीय समूहों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए छह सांविधिक स्वायत्तशासी परिषदें बनायी गयी हैं। • पीपीपी आधार पर एक चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है। • अनुसूचित जातियों के वर्चस्व वाले जिलों में डॉ. अम्बेडकर भवनों के निर्माण के लिए 16.30 करोड़ रुपये का प्रावधान। • छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है। • उन मदरसों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है जो आधुनिक विषयों और व्यावसायिक शिक्षा की प्रणाली लागू करते हैं। • विकलांग व्यक्तियों और विकलांग बच्चों वाले परिवारों को बेरोजगारी भत्ता देने की एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले लोगों के लिए प्रति रोगी रु. 35,000 के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना का प्रस्ताव रखा गया है। • तीन नए संस्थान अर्थात शिवसागर में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और राष्ट्रीय निर्माण अकादमी स्थापित करना। • राज्य के दूरदराज़ के क्षेत्रों में 50 नए अस्पताल स्थापित करना प्रस्तावित।	• 5.0 करोड़ रुपए के आरंभिक योगदान के साथ असम वित्तीय निगम (एएफसी) के तत्वावधान में जोखिम पूंजी (वेंचर कैपिटल) निधि गठित की गयी है। • बुनियादी सुविधाओं और सीमा क्षेत्रों की अन्य बुनियादी जरूरतों का विकास प्रारंभ किया गया है, खासकर स्वरोजगार के रूप में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कौशल प्रदान करना भी प्रस्तावित है। • ग्रामीण विभिन्न विकास योजनाओं के केंद्रित अभिसरण द्वारा 'आदर्श ग्राम' के रूप में एक गांव को गोद लेना प्रस्तावित। • बाढ़ और कटाव की रोकथाम और भूमि सुधार के लिए जल संसाधन प्रबंधन आयोग स्थापित करना प्रस्तावित। • 1200 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए असम को आबंटित 300 एमएमटी कोयला भंडार विकसित करने के लिए तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय के साथ भागीदारी में एक राज्य संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाई जाएगी। • पीपीपी व्यवस्था के अंतर्गत बोको में एक कृषि केंद्र (एग्री-हब) और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के अलावा तिनसुकिया जिले में एक पूरी तरह समेकित प्लास्टिक पार्क / प्लास्टिक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना। • क्षेत्र वार कई एसईजेड / पार्कों का प्रस्ताव किया जा रहा है। • शहरी केन्द्रों के नियोजित विकास की पड़ताल करने और	• असम बुनियादी सुविधा वित्त पोषण प्राधिकरण को 500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गयी है। • मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना का प्रस्ताव रखा गया है। • लंबे समय से बकाये वाले लघु उधारकर्ताओं के लिए 'उधार माफी योजना' प्रारंभ की गई है। • राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार का वेतन ढांचा प्रदान करने का निर्णय लिया। • औद्योगिक निविष्टियों पर प्रवेश कर घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। • चुनिंदा वस्तुओं पर वैट घटाकर 4 प्रतिशत किया गया। • प्राकृतिक गैस पर कर दर 20 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की गई। • संकट से गुजर रहे कलाकारों के कल्याण के लिए एक विशेष निधि सृजित की गई है। • विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मोषों को पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहन निधि का प्रस्ताव रखा गया है	• उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए पूरे पुलिस बल का आधुनिकी-करण। • महिला एवं युवा विकास के लिए के लिए क्रमशः 10 लाख रुपए और 35 लाख रुपए के साथ दो विकास परिषदें गठित करना प्रस्तावित। • महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमी परिषद का गठन किया जाएगा। • खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्विमिंग पूल और इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने का प्रस्ताव है। • सरकारी अस्पतालों में पैदा हुए बच्चों के लिए ममता की योजना शुरू की गई। • शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। • असम वन संरक्षण बल की दूसरी बटालियन खड़ी करने का प्रस्ताव है। • प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव है ताकि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्रस्तावित करने के लिए नीतियां सुझाई जा सकें। • शिक्षा नीति के बारे में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए ज्ञान आयोग गठित करने का प्रस्ताव है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• महिलाओं के लिए दो नए संरक्षण गृह, एक महिला वृद्धाश्रम और बच्चों / किशोरों के लिए दो अवलोकन गृह (आब्जर्वेशन होम) विकसित किये जाएंगे।	उपायों के सुझाव के लिए विकास परिषदों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। • 10 नए शहरों में बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।		
4. बिहार	• तीन नए मेडिकल कालेजों की स्थापना करना। • मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए दो जिलों में विशेष स्कूलों की स्थापना। • अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित लोगों के लिए मोटर ड्राइवर और मेकैनिक का प्रशिक्षण देने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड के सहयोग से एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना। • पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए तीन नए बोर्डिंग स्कूल स्थापित करना। 'महा दलित विकास योजना' और '4-दशमलव गृह स्थल योजना' के अंतर्गत भूमि वितरण। • व्यापारियों के कल्याण के लिए कारोबार दुर्घटना बीमा योजना शुरू की जाएगी। • उच्च शिक्षा के लिए महा विकास केन्दों / संस्थानों की स्थापना।	• एशियाई विकास बैंक और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य पथ विकास निगम की स्थापना करना। • 2009-10 के दौरान 1400 पुलों पर काम शुरू करना जिस पर 900 करोड़ रुपये की लागत आएगी। • कृषि के क्षेत्र में पारंपरिक सिंचाई पद्धति को पुनः जीवित करना और आधुनिक बनाने, सिंचाई के लिए निजी पंपों और अनुपूरक पंप सेटों की 1,28,000 इकाइयों की स्थापना करने के लिए किसानों को ऋण एवं अनुदान, चावल और गेहूं के लिए 25 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में बीज गांव स्थापित करने के साथ-साथ एक 'किसान खेत स्कूल' स्थापित करना और चावल तथा जूट को छोड़कर सभी फसलों को बिहार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लाना। • मुर्गी पालन के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने और चार नए चारा बैंक तथा दो नए डेयरी संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना। • पावर ग्रिड 24 जिलों में काम करेगा और एनएचपीसी 6 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ करेगा। • गया में एक हथकरघा पार्क स्थापित किया जाएगा। • 500 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट प्रावधान के साथ चीनी कारखाने प्रस्तावित हैं।		• यूएनडीपी आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत आठ जिलों में आपातकाल संचालन केन्द्रों की स्थापना करना। • राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए जमीन की खरीद और निर्माण कार्य शुरू करना। • 18 बाढ़ प्रवण जिलों में राहत और बचाव कार्य से संबंधित सामग्री के भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण करना। • विभिन्न विकास योजनाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास उपलब्ध निधियों और क्षमता के बीच अंतर को भरने के लिए निधियां प्रदान की जाएंगी।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
5. छत्तीसगढ़	• देश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)', योजना के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। • संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए 'महतारी एक्सप्रेस योजना' शुरू करने का प्रस्ताव है। • 'यूरोपीय संघ राज्य अंशदान कार्यक्रम' की सहायता से कुष्ठ रोग से प्रभावित जिलों में विशेष सर्वेक्षण और उपचार अभियान। • अनुसूचित जनजाति के कला और संस्कृति के संरक्षण और विकास के हेतु 'अनुसूचित जनजाति अनुसंधान केंद्र' की स्थापना। • मूक और बधिर विद्यार्थियों के लिए दंतेवाडा में और नेत्रहीन छात्रों के लिए जशपुर में एक-एक कॉलेज खोलना।	• सभी ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में भूमिगत जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए एक आवश्यक किट और उचित प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। • बिलासपुर में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना। • सभी जिला मुख्यालयों में एक बहुउद्देशीय कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। • किसानों के सिंचाई पंप सेटों के लिए मुफ्त बिजली। • यूएनडीपी और योजना आयोग की सहायता से राजनांदगाँव, महासमुंद, कांकेर, कोरबा, जांजगीर-चम्पा, सरगुजा और जशपुर जिलों के लिए पहली बार 'जिला मानव संसाधन रिपोर्ट' तैयार करना। • भिलाई और राजनांदगांव में नए परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र की स्थापना।	• रियायती दर पर महिलाओं को नए रसोई गैस कनेक्शन। • प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को व्यवसाय कर की छूट। • राज्य मे जैव-ईंधन के उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए इसे वैट से छूट दी गई।	• बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग' का गठन।
6. गोवा	• गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाइ) के तहत घरों के निर्माण के लिए केंद्रीय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव। • अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं।	• एक 'कृषि और बागवानी नीति' तैयार करना। • संकट और आपदा के समय में किसानों की देखभाल करने के लिए एक 'शेतकरी आधार निधि'। • पहाड़ी ढलानों में सब्जियां उगानेवाले किसानों के लिए पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए एक 'जलकुंड योजना' प्रारंभ करना। • परंपरागत कौशल संपन्न छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव।	• सरकारी प्रशासन के कार्य करने को समग्र रूप से चुस्त-दुरुस्त बनाने का प्रस्ताव। • विभाग के वित्त का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षा करना और उचित नीतिगत निर्णयों के साथ कमियों को दूर करना। • राजस्व बढ़ाने के उपाय के रूप में 'पेशेवरों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर गोवा राज्य कर अधिनियम, 2009' प्रस्तावित है।	• राज्य सरकार में भष्ट्राचार रोकने के लिए सतर्कता विभाग को सुदृढ़ बनाना। • मानव विकास सूचकांक का अध्ययन करने के लिए उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करना। • दसवीं और बारहवीं कक्षाओं तथा व्यावसायिक धारा के छात्रों हेतु मेरिट स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। • उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		• बुनियादी संरचना परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इन्हें पीपीपी आधार पर तैयार किया जाएगा। • डोना पौला और वास्को शहर को जोड़ने वाले सेतु का निर्माण करने के लिए पीपीपी / बीओटी आधार पर समुद्री संपर्क मार्ग परियोजना प्रस्तावित। • गोवा की आजादी के 50वें वर्ष की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक अतिरिक्त 'स्मारक सेतु' का निर्माण किया जाएगा। • राज्य में नई इकाइयां स्थापित करने के लिए आवेदनों का तेजी से निपटान करने हेतु एकल खिड़की अनुमोदन पद्धति प्रणाली। • महिला उद्यमियों द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दर में छूट प्रस्तावित की जा रही है। • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्र तट सुरक्षा कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रस्तावित है।	• अन्य कर उपायों में शामिल हैं वाणिज्यिक उपयोग हेतु निकाले गए जल पर 20 रुपए प्रति घन मीटर शुल्क, बढ़ाए गए सभी केसीनों पर प्रवेश शुल्क, दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर प्रवेश टोल लगाया जाएगा, होटलों के लिए विलासिता कर की दरें तर्क संगत बनायी गईं, सभी बार्ज लोडिंग और अनलोडिंग जेटियों के लिए पंजीकरण हेतु केवल एक बार का पंजीकरण प्रभार, बंदरगाह और अन्य संबद्ध प्रभार बढ़ाए गए, कोयला और कोक के साथ-साथ ज्वलनशील और खतरनाक वस्तुओं के लिए परिवहन प्रभार बढ़ाए गए, जहाजों / नौकाओं पर कसीनों और जुआ खिलाने के लाइसेंस और प्रोसेसिंग शुल्क बढ़ाए गए लेकिन उपभोग हेतु खुदरा बिक्री के लिए घटाए गए। • खनन उद्योग से भूमि के बदले भूमि और हरित वातावरण प्रभार प्रारंभ करना प्रस्तावित।	योजना जिनके बच्चे अन्यथा - समर्थ और विशेष श्रेणी के हैं ताकि वे उनकी देखभाल कर सकें। साथ ही विशेष बच्चों की देखभाल के लिए उचित योजना बनाना।
7. गुजरात	• राज्य में बाल सखी योजना शुरू की गई है। • बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन, स्कूल छोड़ने की दर कम करना, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने सहित कई कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। • नये विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। • शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, साइकिल, 'दीन दयाल आवास योजना' के	• शहरी केन्द्रों को जोड़ने वाले सभी गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। • अपारंपरिक संसाधनों जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निजी निवेश आकर्षित करने हेतु एक नीति तैयार की गयी है। • दूरदराज के गांवों में किसानों की मदद करने के लिए 'ई-ग्राम - विश्व ग्राम' योजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से सभी गांवों को कनेक्ट करना ताकि वे अपने उत्पादों की कीमत जानने के साथ-साथ अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता	• मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके राजस्व प्रशासन सरल बनाया गया है। • राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की वेतन संरचना लागू करने के लिए स्वीकार की गयी है।	• पर्यावरण सुरक्षा के मोर्चे पर विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जैसे कि वन बंधु कल्याण योजना, सागरखेडू योजना, शहरी गरीब समृद्धि योजना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	अंतर्गत मकान का आबंटन और 'कुंवरबाई नू ममेरू' के अंतर्गत शादी के लिए सहायता, विदेशी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, यह सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े समुदायों से संबंधित लोगों के लिए।	देने के लिए जानकारियां प्राप्त कर सकें। शहरी गरीबों के उत्थान की योजनाओं को समन्वित करके वैज्ञानिक शहरी विकास शुरू किया गया।		
8. हरियाणा	• मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए 300 रुपये का मासिक भत्ता शुरू किया गया है और मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों, निराश्रित महिलाओं और बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ एक महिला मेडिकल कॉलेज और विशेष संस्थाओं का प्रस्ताव है। • अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 18- 60 वर्ष की आयु समूह के सभी पात्र व्यक्तियों को राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत बीमा कवर प्रदान करना। • नई योजना अर्थात, 'स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना' आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। • पात्र अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग (ए) के लिए किये जाने वाले उपायों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंडों का महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत आबंटन, अपना घर बनाने के लिए रियायती दर पर ऋण, स्कूल शिक्षा और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति की पेशकश के अलावा गांवों में 400 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण शामिल है। इसके	• पहले चरण में 16 शहरों में 100 प्रतिशत अच्छी और विश्वसनीय जल आपूर्ति और सीवरेज सुविधाएं प्रदान करना प्रस्तावित। • प्रमुख जल संसाधनों का नवीकरण करने का प्रस्ताव है। • औद्योगिक श्रमिकों के लिए मकान बनाने का प्रस्ताव है। • मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना के तहत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। • उन विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में जहां आम अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव। • चुने हुए स्थानों में औद्योगिक आदर्श शहर (आइएमटी) विकसित करने का प्रस्ताव। इसी प्रकार, औद्योगिक इस्टेट भी स्थापित किए जाएंगे। कुंडली-मानेसर-पलवल द्रुतगति महामार्ग के साथ- साथ 'आर्थिक केन्द्र' भी विकसित किया जाएगा। • लकड़ी आधारित उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाते	• जमीन और संपत्ति की बिक्री पर स्टांप शुल्क की दर घटाकर शहरी क्षेत्रों में 7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। • 0.4 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र पर अपनी गतिविधियों का संचालन करने वाले मछली उत्पादक उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की गई है। • मछली के चारे पर वैट की लेवी से छूट दी गई है। • राज्य सरकार ने कर्मचारियों का वेतन पैकेज केंद्र के छठे वेतन आयोग के अनुरूप कर दिया है और अब पेंशनरों को भी यह लाभ देने की प्रक्रिया में है।	• ग्रामीण युवाओं को राज्य में अवसर प्रदान करने के लिए 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' नामक एक नई योजना शुरू की गई है। • अभिसरण और सामाजिक लेखा परीक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति नामक एक आम समिति गठित की गयी है। • राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का लक्ष्य मृत्यु या विकलांगता के कारण मुआवजा देना है। • वरिष्ठ नागरिक क्लब, स्वैच्छिक सेवा नेटवर्क, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहचान पत्र जारी करने, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग को बस किराए में 50 प्रतिशत रियायत और गरीबी रेखा से नीचे वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए नि:शुल्क चश्मे के वितरण का प्रस्ताव रखा गया है। • गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है। • कई एक कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	अलावा, स्कूली शिक्षा और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। • सभी सरकारी स्कूलों और विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा तथा दो नये मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं।	हुए सभी छोटे और सीमांत किसानों के फायदे के लिए क्लोनल कृषि वानिकी शुरू की गयी है।		
9. हिमाचल प्रदेश	• इंदिरा आवास योजना और अटल आवास योजना के तहत ग्रामीण गरीबों और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 9000 नए घरों का निर्माण किया जाएगा। • बिलासपुर में नया इंजीनियरिंग कालेज खोला जाएगा। सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा। • गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सभी जिलों में व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है। • आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के लिए हर साल लगभग 400 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। • 'अटल बिजली बचत योजना' के तहत सभी परिवारों को चार सीएफएल वितरित की जाएंगी।	• जैविक खेती और वर्मी खाद को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। • 25 पशु चिकित्सा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और 19 नए संस्थान खोले जाएंगे। • बेरोजगार युवकों को मछली पालन, मोती उत्पादन और व्यावसायिक ट्राउट के प्रजनन में प्रशिक्षित किया जाना है। • बिलासपुर और कांगड़ा जिले में 1171 बस्तियों के लिए तीन प्रमुख ग्रामीण पेय जल परियोजनाएं प्रस्तावित। • प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से टाउनशिप सहित आइटी पार्क स्थापित करना। • स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए उदारता से परमिट प्रदान करना।	• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण बेरोजगारों को प्रति वर्ष 11,000 रुपए कमाने का अधिकार और इस के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। • सीएफएल, बिना मार्का वाले साबुन और घी पर कर की दरें घटाई गईं। • ग्रामीण सड़कों में आवागमन के लिए पथ कर में पूरी तरह से छूट दी गई।	• ग्रामीण विद्या उपासक योजना पुनः शुरू। • पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। • वन विभाग की इस हेतु उपलब्ध 6000 वर्ग किमी भूमि में वन लगाने की गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। • शिमला में गेटी थियेटर और मसरूर में पहाड़ी काटकर एक मंदिर बनाया जायेगा जो पर्यटन का महत्वपूर्ण आकर्षण होगा।
10. जम्मू और कश्मीर	• स्त्री साक्षरता और 100 प्रतिशत वयस्क साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव है। • महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राज्य महिला विकास निगम के माध्यम से 100 महिला उद्यमियों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख तक प्रत्यक्ष ऋण देने का प्रस्ताव है।	• कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार के लिए समूह (क्लस्टर) दृष्टिकोण अपनाया जाना है। • गोश्त और ऊन की उपलब्धता में सुधार लाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने की दृष्टि से निजी क्षेत्र में और अधिक भेड़ पालन इकाइयां तैयार करना। • मुर्गी पालन विभाग बेहतर पैरेंट स्टॉक प्रजनन के लिए पीपीपी	• 'उद्यमिता विकास कार्यक्रम/मों (ईडीपी)' को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिसमें अप्रतिदेय प्रारंभिक धन के रूप में एक प्रोत्साहन शामिल है ताकि संभावित उद्यमी अपने उद्यम शुरू कर सकें और अपनी परियोजनाओं को बैंकिंग योग्य बना सकें। • सरकार का 25 करोड़ रुपए के एक आरंभिक कोष के साथ 'उद्यमिता विकास कोष' बनाने का इरादा है।	• शहतूत कल्चर, रेशम उत्पादन, बुनाई और रेशम उद्योग के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए एक मल्टी टास्क फोर्स स्थापित किया जाएगा। • एक नई तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी और क्लस्टर योजनाओं को लागू करने के लिए विशेष प्रयोजन के साधन बनाए जाएंगे। • सभी भू-राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण करवाया जाना

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		मोड में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं से लैस चूज़ा केंद्रों (हेचरीज़) को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की व्यवहार्यता का पता लगाएगा। • सरकार जोर दिए जानेवाले निर्दिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के समूहों के माध्यम से स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देकर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कच्चे माल का दोहन करने का इरादा रखती है। • औद्योगिक विकास केन्द्र, लस्सीपोरा में 500 कनाल भूमि चमड़ा क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है। • निजी क्षेत्र के दो वस्त्र पार्क कठुआ जिले में घट्टी और गोविंदसर में आ रहे हैं। • नई औद्योगिक इकाइयों और विशेष औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि बैंक के सृजन के प्रयास किए जा रहे हैं। • आइटी, आइटी समर्थित सेवाओं, खुदरा व्यवसाय, पर्यटन और अन्य सेवा उद्योगों में राष्ट्रीय और वैश्विक रोजगार के अवसरों में साझेदारी के लिए नैसकॉम के सहयोग से राज्य में कुशल संसाधन विकसित करने के लिए एक विशेष कार्य बल बनाया गया है।	• पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा क्षेत्र की योग्य प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने दूर-दराज़ के क्षेत्रों में काम कर रहे डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। • राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र के छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है। • जनवरी 2010 से लागू करने के लिए नई पेंशन योजना पर विधेयक लाने का प्रस्ताव है जिसमें पेंशन के भुगतान का भार पेंशन निधि में स्थानांतरित हो जाएगा। अधिसूचना के बाद सभी नई भर्ती वालों के लिए यह योजना अनिवार्य हो जाएगी।	और इसे आनलाइन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। • जिला रोजगार और परामर्श केन्द्र एक कौशल सूची और कौशल की कमी के मानचित्रण सहित विश्वसनीय आंकड़ा आधार विकसित करेंगे। • 'युवाओं के लिए शेर-ए-कश्मीर रोजगार और कल्याण कार्यक्रम' (एसकेईडब्ल्यूपीवाई) के तहत राज्य में बेरोजगारी की समस्या से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए 'रोजगार संबंधी राज्य नीति'। • सरकार 22 जिला स्तरीय 'ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों' (आरएसईटीआइ) की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ करने और उसमें तेजी लाने के स्वयं वचनबद्ध है। • प्लेसमेंट एजेंसियों, विदेशी दूतावासों, श्रम मंत्रालय और विदेशी रोजगार विभाग के साथ संबंध स्थापित करने और विदेश में रोजगार के इच्छुक लोगों के लिए एक ज्ञान बैंक बनाने के लिए विदेशी रोजगार निगम बनाया जाएगा।
11. झारखंड	• शिक्षा और समाज कल्याण क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है। • नक्सल प्रभावित जिलों के लिए प्रोत्साहन पैकेज के तहत इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत नए मकान मंजूर किए हैं।	• ग्रामीण विकास और ऊर्जा क्षेत्रों की ओर जोर दिया गया है। • राज्य में तकनीकी कार्य बल को मजबूत बनाने के लिए पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।	–	–

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
12. कर्नाटक	• एक सामान्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के अलावा कृषि, बागवानी, आयुर्वेदिक तथा संस्कृत और वैदिक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। • निमहांस, बंगलौर की तर्ज पर एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जाएगा। • 60,000 रुपए प्रत्येक की लागत से 5000 बुनाई कमरे के साथ मकान का निर्माण करने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ताकि अपना पेशा चलाने के लिए गरीब बुनकरों को अनुकूल माहौल प्रदान किया जा सके। • स्लम क्षेत्र के विकास के लिए शहरी क्षेत्रों में 2009-10 के दौरान 5000 घरों का निर्माण किया जाएगा।	• वार्षिक आधार पर ग्रामीण सड़कें सुधारने के लिए एक बड़ी योजना पीपीपी मॉडल पर शुरू की जाएगी। • उत्तर कर्नाटक के औद्योगिक विकास के लिए इस्पात क्षेत्र, मसाला पार्क और ऑटो पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव। • कौशल मापन, प्रशिक्षण प्रदान करने और रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए सेवा डेस्क के रूप में मदद करने के लिए रोजगार कार्यालयों को मानव संसाधन सेवा केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। • पीपीपी के आधार पर 2,000 करोड़ रुपए के एक विशेष कार्यक्रम के साथ बंगलूर के सुनियोजित विकास के लिए बंगलोर बुनियादी सुविधा विकास टास्क फोर्स एक ब्लू प्रिंट तैयार करेगा।	• धान, चावल, गेहूं और दालों की तरह की खाद्यान्न वस्तुओं पर राज्य में उपलब्ध छूट 1 अप्रैल 2009 से और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जाएगी। • व्यापार प्रदर्शनियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी हॉल और शादी हॉल पर विलासिता कर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। • मनोरंजन कर की दर 40 फीसदी से घटाकर 30 फीसदी की जाएगी। • अचल संपत्तियों की बिक्री से संबंधित सभी लेनदेनों पर स्टांप शुल्क कम कर दिया गया है।	• जैसा सिंगापुर में है उसी की तर्ज पर मैंगलोर में पीपीपी आधार पर एक समुद्री जल पार्क की स्थापना करना। • कृषि बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया लागू की जाएगी। • ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक कॉल कार्यालयों की स्थापना (ई-पीसीओ) को बढ़ावा दिया जाएगा। • व्यापक औद्योगिक विकास और नीति के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु औद्योगिक विकास विजन टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। • वन संरक्षण और जैव- विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु पश्चिमी घाट संरक्षण बल गठित किया गया है।
13. केरल	• सभी बीपीएल परिवारों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से राशन में चावल उपलब्ध कराया जाएगा। 'आश्रय' योजना के तहत सभी मछुआरों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों को शामिल किया जाएगा चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी में न हों। • संकट में पड़े लगभग 41,500 परिवारों को जिनके बकाये 1986 के पहले से बकाया हैं उन्हें बट्टे खाते डाला जा रहा है उनके स्वत्वाविलेख (डीड) लौटा दिये जाएंगे। • 3,055 हाईस्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा।	• 10,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी थी जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए जल आपूर्ति, सिंचाई और सार्वजनिक कार्यों के लिए होंगे और शेष 5,000 करोड़ रुपए ईएमएस हाउसिंग स्कीम, आइटी, केएफसी, सड़कों और पुलों के लिए होंगे। • मलाबार पैकज के रूप में सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु 1500 करोड़ रुपए तक का सीधा निवेश किया जाएगा। • नारियल बोर्ड की साझेदारी में 500 करोड़ रुपए की परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। • मछुआरों को दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से निकालने	• कॉयर मज्जा के प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योगों के लिए 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। • 55 वर्ष तक की आयु के सेवा-निवृत्त बीड़ी उद्योग के श्रमिकों के लिए 500 रुपए मासिक पेंशन प्रस्तावित की गयी है। • नवोन्मेषी छोटे और मझोले उद्यमों को सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए की एक जोखिम पूंजी निधि स्थापित की जाएगी। • सभी पंजीकृत पर्यटक रिसोर्ट और हाउसबोटों को एक वर्ष के लिए आधा कर चुकाने की मोहलत दी जाएगी। • तटीय विकास निगम (सीडीसी) के लिए इक्विटी के रूप में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा जो 10 मछली पकड़ने	• तन्नीरमुक्कम बंध को बंद करने की आवश्यकता कम करने के लिए एक कृषि कैलेंडर वैज्ञानिक रूप से विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है। • केरल राज्य वित्त उद्यम की 40 शाखाएं खोली जाएंगी। • मलाबार क्षेत्र में 27 पर्यटक क्षेत्र विकसित किये जाएंगे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया कारोबारी मॉडल अपनाया जा रहा है। • तिरुवनंतपुरम में एक जीवन विज्ञान पार्क स्थापित करने के लिए केएसआइडीसी उपक्रम की इक्विटी के रूप में अंशदान देने के लिए सरकार 40 करोड़ रुपए निर्दिष्ट करेगी।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• चार आइटीआइ उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे और 10 नये आइटीआइ शुरू किये जाएंगे। • 65 साल से ऊपर के सभी लोगों को, जिन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती है, 100 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। • एक व्यापक पेय जल और सफाई परियोजना तैयार की जा रही है जिससे 3 लाख लोगों को लाभ होगा।	के लिए एक व्यापक समुद्र संरक्षण योजना कार्यान्वित की गयी। • लिफ्ट सिंचाई और जल नियंत्रण योजनाओं के नवीकरण हेतु निधियां आबंटित की गयी हैं। • केरल कॉयर विपणन संघ बनाया जाएगा। • टेक्सफेड के तहत कताई मिलों के नवीकरण हेतु एक पैकेज कार्यान्वित किया जाएगा। • एसएमई को सहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपए के एक ऋण पैकेज को कार्यान्वित करने की घोषणा की गयी है। • केएसआइडीसी, केआइएनएफआरए और इनकेल जैसी विकास एजेंसियों ने 8,000 करोड़ रुपए का सुपर थर्मल स्टेशन चिमेनी में स्थापित करने के प्रयास किये हैं। • औद्योगिक विकास और निर्माण हेतु 7650 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गये और मंजेश्वरम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, रामानट्टूक्करा में एडवांस्ड टैक्नोलॉजी पार्क, पंतीरमकाऊ में फूटवेयर इंडस्ट्रियल पार्क और नीलेश्वरम में इलेक्ट्रॉनिक पार्क का निर्माण प्रारंभ होगा। • आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के छत्र के नीचे 10 आइटी पार्क बनाए जाएंगे। • बिजली बोर्ड निजी कंपनियों की सीधी साझेदारी में छोटी जल परियोजनाएं प्रारंभ करेगा। • प्रस्ताव है कि सरकार, निजी सहभागिता और रेलवे के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम के	वाले बंदरगाहों का निर्माण करने के लिए ऋण लेगा। • सरकारी इमारतों की मरम्मत और नवीकरण हेतु 130 करोड़ रुपए की आरंभिक निधि के साथ आस्ति रखरखाव निधि गठित की जाएगी। • अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और मृत्यु के समय दी जाने वाली सहायता हेतु एक कल्याण निधि गठित की गयी है। • अन्यत्र मंदी के कारण खाड़ी देशों से लौटने वाले जरूरतमंदों को छोटी सहायता प्रदान करने के लिए अनिवासी केरलवासियों हेतु कल्याण निधि गठित की गयी है। • स्टाम्प शुल्क के संबंध में कम मूल्यन से संबंधित सभी लंबित मामलों को निपटाने हेतु एक - बारगी निपटान योजना घोषित की गयी है। • बकाया कर के एकबारगी निपटान के लिए एक और अवसर प्रदान किया गया। • बहुत से उत्पादों के संबंध में कर में कटौती / छूट योजना घोषित की गयी। • विवरणियों को पूरी तरह से ई-फाइलिंग करने की प्रणाली कार्यान्वित की गयी है। • 20 लाख रुपए से कम का वार्षिक टर्नओवर रखने वाले छोटे व्यापारियों को कर जाल में लाने के लिए उन्हें एक विकल्प दिया गया है कि यदि वे चाहे तो 3,000 रुपए वार्षिक का समेकित कर अदा कर दें अथवा चार समान तिमाही किस्तों में इसे अलग कर सकते हैं। • कम कर के दिखाए गये टर्नओवर के प्रकटीकरण और उस पर कर अदा करने हेतु	• आयुर्वेदिक औषधियों के मानकीकरण के प्रयोजन हेतु फार्मास्यूटिकल ड्रग्स रिसर्च केंद्र स्थापित किया जाएगा। • सार्वजनिक कार्यों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा परियोजनाओं को निष्पादित करने में होनेवाले विलंब के कारणों की जांच करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। • मौजूदा वनों के चारों ओर एक हरित बफर क्षेत्र पैदा करने तथा मौजूदा वनों को और घना बनाने के लिए एक महायोजना बनायी जाएगी। • राष्ट्रीय खेलों के लिए विकसित बुनियादी संरचना का राज्य में खेलों के विकास के लिए स्थायी महत्त्व होगा। • प्रशासनिक सुधारों हेतु निगरानी आयोग बनाया जाएगा।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		रूप में केरल रेल विकास निगम (केआरडीसी) की स्थापना की जाए।	'स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना' के रूप में एक और अवसर उपलब्ध कराया गया है।	
14. मध्य प्रदेश	• गरीब वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए 'सुदामा छात्र वृत्ति' प्रस्तावित है। • इंदौर में आइआइटी और भोपाल राज्य में आयोजना तथा वास्तुशिल विद्यालय, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय डिज़ाइन स्कूल और राष्ट्रीय विज्ञान तथा शिक्षा अनुसंधान संस्थान जैसे उच्च शिक्षा संस्थान खोलने के लिए प्रस्ताव। • गरीब बच्चों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नयी शोध छात्रवृत्ति प्रस्तावित है। • विकलांग विद्यार्थियों के लिए शोध अध्ययन हेतु 8,000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। • विभिन्न कॉलेजों और शोध केंद्रों के बीच कृषि अनुसंधान कार्य के व्यापक समन्वयन के लिए ग्वालियर में एक नया कृषि विश्व विद्यालय खोलना प्रस्तावित है।	• कृषि विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। • राज्य के सभी 313 विकास खंडों में सीधे कम्प्यूटर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और एक 'कृषि ज्ञान केन्द्र' स्थापित करना। • सिरौंज में राज्य के प्रथम कृषि आधारित सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना। • नर्मदा बेसिन परियोजना के अंतर्गत मझौली और लघु सिंचाई योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नर्मदांचल मझौली और लघु सिंचाई योजना परिषद की स्थापना।	• सरकारी भुगतानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) लागू करने की योजना।	• मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद राज्य के सभी जिलों के लिए एक जिला संसाधन एटलस तैयार करेगी। • शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस थानों की स्थापना और आतंकवादी विरोधी दल की स्थापना प्रस्तावित है। • निजी सहयोग से राज्य के 22 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार प्रस्तावित है।
15. महाराष्ट्र	• सरकार ने इजाजत और अनुज्ञप्ति आधार पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अस्थायी आवास उपलब्ध कराने हेतु महानगर क्षेत्र में 5 लाख घर बनाने का निर्णय लिया है। • स्वर्ण जयंती सुजल और निर्मल कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी केन्द्रों में साफ-सफाई और जल उपलब्ध कराया जाएगा।	• भारत सरकार द्वारा गोसी खंड परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है; लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई जाएगी। • ट्रांबे में टाटा पॉवर कंपनी की 250 मेगावाट की परियोजना शुरू की गई है।	• आंतरिक सड़कों, गटर और अन्य सुख- सुविधाओं के निर्माण के लिए विशेष निधि प्रदान करना। • ऋण राहत योजना उन किसानों के लिए शुरू की गई जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं।	• गांव पंचायत की महिला प्रतिनिधियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 12000 महिला सदस्यों को लाभ मिलेगा। • सभी तालुकों, जिलों और मंडलीय मुख्यालयों में क्रीड़ा संकुल बनाए जाएंगे।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2,24,323 आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। • पीपी आधार पर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइआइटी) और आइआइएम स्थापित किया जाएगा। • स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने के रोकथाम के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। • घरेलू कामगारों के लाभ के लिए, राष्ट्रीय बीमा योजना शुरू की जा रही है।	• मत्स्य पालन सहकारी समितियों के द्वारा प्रायोजित मछुवारों के समूह के लिए मछली पकड़ने वाली मशीनी नावों को बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए आवश्यक कदम उठाए गये। • राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 25,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। • केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत 325 कि.मी. सड़क का निर्माण किया जाएगा जिसकी लागत 250 करोड़ रुपए होगी। • रेलवे के आधारभूत ढांचे को 4 परियोजनाओं को क्रियान्वित करके मजबूत बनाया जाएगा। • राज्य में हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। • महाराष्ट्र ग्रामीण योजना निर्माण योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए प्रावधान किया गया है।	• जनजातियों के लगभग 200 करोड़ रुपए के ऋणों को माफ किया जाना प्रस्तावित है। • उद्योगों के प्रोत्साहन की पैकेज योजना को 400 करोड़ रुपए प्रदान किये गये हैं। • सामाजिक न्याय विभाग के स्वीकृत और बकाया ऋणों को माफ किया जाना है। • जनजाति क्षेत्रों में बिजली के बकाया बिलों को माफ करना प्रस्तावित है। • कुछ वस्तुओं जैसे शराब, तंबाखू, मोबाइल फोन, आयातित विदेशी शराब के आबकारी शुल्क पर वैट को बढ़ाया गया है।	• सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल औरंगाबाद में कैंसर केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। • वनीकरण कार्यक्रम के लिए निधियों को बढ़ाकर 244 करोड़ रुपए किया गया है। • सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ पुलिस को मजबूत करने के लिए निधियां प्रदान की गई हैं।
16. मणिपुर	–	• बागवानी के अतर्गत क्षेत्र के विस्तार को 2009-10 की वार्षिक योजना के लिए विशेष जोर देने वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। • राज्य में सड़कों, पुलों के विकास के लिए 26.5 करोड़ रुपए का एक प्रायोगिक परिव्यय निर्धारित किया गया है। • नीलकुठी में खाद्य पार्क के विकास के लिए नाबार्ड ने एक ऋण स्वीकृत किया है।	–	–

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		• समन्वित हथकरघा समूह विकास योजना के लिए 8 करोड़ रुपए के राज्य सरकार के हिस्से को मंजूर किया गया है। • शहरी सुधारों के क्रियान्वयन को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत किया जा रहा है।		
17. मेघालय	• 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक आयु समूह में सभी को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत मौलिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। • पीपीपी तर्ज के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त तकनीकी संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। • जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। • यह प्रस्ताव किया गया है कि ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों के 3745 परिवारों को शामिल किया जाएगा।	• विश्वासयोग्य प्रौद्योगिकी को अपनाने और 'झूम' तथा 'बन' सभ्यता में सुधार के लिए उपाय किये जाएंगे। • शेष जिलों में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन को लागू किया जाएगा। • क्रायडेमकुलाई और डला में सुअर पालन फार्म और पूर्व के खासी पहाड़ी जिले में हैचरी तथा कुक्कट उत्पादन स्थापित करना। • 90 कि.मी. नये रोड़ का निर्माण, 130 कि.मी. सड़क की मेटलिंग और कोलतार बिछाना तथा 80 कि.मी. में सुधार तथा उसे चौड़ा करने का कार्य शुरू करना। • राज्य में उद्योगों को मजबूत करने और विकास करने के लिए नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। • सीमा क्षेत्र में सड़क संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। • पर्यटन के विकास और रोजगार के सृजन के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।	• राज्य के सभी कोषागारों और उप कोषागारों में ऑनलाइन खजाना एनएफटी अनुप्रयोग उपलब्ध कराया गया है। • बांगला देश के साथ निर्यात संवर्धन संबद्धता सहित राजस्व निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं। • खनिजों के रिसाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर समन्वित निगरानी द्वार स्थापित करना।	• बेहतर सेवा के लिए पेंशन स्वचालित प्रणाली शुरू की जाएगी। • सरकार ने अतिरिक्त स्टाफ के साथ 24x7 आधार पर कार्य के लिए 24 सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों की पहचान की। • विज्ञान और प्रौद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का एक व्यापक दायरा प्रस्तावित है। • राष्ट्रीय चिकित्सीय पौध बोर्ड के साथ मेघालय राज्य चिकित्सीय पौध बोर्ड राज्य में 4 परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
18. मिजोरम	• भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चिकित्सा विज्ञान संस्थान और कृषि विश्व विद्यालय जैसे संस्थान स्थापित करना। • गरीबों के लिए वहनीय गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु तरीकों की जांच करने और सुझाने के लिए शिक्षा सुधार आयोग की स्थापना करना।	• संशोधित नवीन भूमि उपयोग नीति (एनएलयूपी) बनाई गयी है। • पीपीपी के अंतर्गत 25 मेगावॉट से ऊपर की जल परियोजनाओं पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। • व्यापक भूमि सुधार और भूमि निस्तारण के लिए एक नया भूमि कानून बनाया जा रहा है। • अन्य चार उत्तर पूर्वीय राजधानी शहरों के साथ-साथ आइजोल शहर में शहरी नवीकरण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 'उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र राजधानी शहर विकास निवेश कार्यक्रम' बनाया गया है।	• ईएपी की शक्ल में बाह्य सहायता और पीपीपी के माध्यम से निजी पूंजी जैसे वैकल्पिक साधनों से आवश्यक संसाधन जुटाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। • सरकार की राजकोषीय स्थिति और अर्धवार्षिक आधार पर विभिन्न संबद्ध मसलों पर विचार करने के लिए एक सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति (पीईआरसी) बनाई गयी। • गारंटियों की मांग के कारण सरकार की भावी आकस्मिकता देयताओं को पूरा करने के लिए एक गारंटी शोधन निधि स्थापित करना।	• भारत में मिजोरम ऐसा पहला राज्य होगा जिसने एक व्यापक वन और भूमि संरक्षण तथा प्रबंधन नीति बनाई है। • एक उपयुक्त तेल और प्राकृतिक गैस नीति बनाई जा रही है। • सभी जिला मुख्यालयों में स्थापित की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं के विकास और खेल संवर्धन केंद्र के साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति 'कैच देम एंग' को लागू किया गया है। • उससे संबद्ध विभिन्न मदों पर विचार करने के लिए एक विधि आयोग स्थापित करना प्रस्तावित है।
19. नागालैंड	• चिमूकेडिमा में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी और कोहिमा में अंतरराष्ट्रीय भाषाओं पर स्कूल तथा एक डिग्री सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। • कोहिमा और सभी जिला अस्पतालों के नगा अस्पतालों में मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। • ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 126 गांवों को पानी की आपूर्ति की जाएगी जबकि 250 गांवों का सामुदायीकरण किया जाएगा।	• वर्ष के दौरान लगभग 50 कि.मी. कृषि संबद्ध सड़क का निर्माण पूरा किया गया और एपीएमसी तथा कृषि संपर्क निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया। • 220 हैक्टेयर के मौजूदा तालाबों और 120 नये हैक्टेयर के कवरेज का पुनरुद्धार तथा डोयांग एचईपी जलाशय में मत्स्य पालन के विकास सहित सामुदायिक मत्स्य पालन और जल निकायों को प्राथमिकता दी जा रही है। 74 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और लघु सिंचाई परियोजनाओं को वर्ष के दौरान पूरा किया जाएगा। • राजधानी कश्मीर में बाई-पास रोड का निर्माण शुरू किया गया।	• राजस्व संग्रहण में सुधार के उपाय के रूप में, कई कस्बों में जलापूर्ति मीटर लगाये जाने की योजना है।	• पिछड़े जिलों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। • सरकार ने सभी निर्माण कार्यों में मानकों के अनुपालन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण बोर्ड बनाया है। • जिला न्यायालय संकुल और पारंपरिक न्यायालयों का निर्माण किया जाएगा। • चार सरकारी कॉलेजों में विज्ञान प्रयोगशाला बनाने के लिए निधियां उपलब्ध करायी गयी हैं। • भूविज्ञान विभाग चूना पत्थर के भंडार की संभावनाओं पर विस्तार से खोज करेगा।
20. उड़ीसा	• कृषि शिक्षा के विस्तार के लिए एक कृषि महाविद्यालय प्रस्तावित है। • एसटी और एससी छात्राओं के लिए 1,000 हॉस्टलों का निर्माण किया जाएगा। • सरकार ने विपन्न महिलाओं और वृद्ध लोगों की सामाजिक सुरक्षा	• राज्य के अपने राजस्व में से, मो कुडिया योजना, मधुबाबू पेंशन योजना, बीजू केबीके योजना और गोपा बंधु ग्रामीण योजना के लिए प्रावधान किया गया है। • सब्सिडी दर पर उर्वरक, बीज और कीटनाशक उपलब्ध करा	• राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए केंद्र के छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। • राज्य में अध्यापकों के वेतन को यूजीसी की अनुशंसाओं के	-

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	के लिए तथा महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाएं हैं। • राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना को काफी अधिक निधियां आबंटित की जा रही हैं।	करके नयी कृषि नीति लागू की जा रही है। • छः आदिवासी बाहुल्य जिलों में 460 वॉटरशेड परियोजनाओं के माध्यम से जीवन-यापन कार्यक्रम के विस्तार के लिए 'जीबिका' नामक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। • नई लागू राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। • बड़ी, मझौली और लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा बीजू कृषक विकास योजना का भी महत्वपूर्ण ढंग से रखरखाव किया जा रहा है।	अनुसार संशोधित किया गया है। • सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किये गये फसल ऋणों पर ब्याज दर संबंधी सरकारी सहायता को 7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया गया।	
21. पंजाब	• राज्य सरकार पीपीपी तर्ज के अंतर्गत सिविल अस्पताल में एक विशेष सुविधा संपन्न कैंसर और ट्रॉमा अस्पताल स्थापित कर रही है। • भाई ज्ञान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गयी है जो सरकारी समितियों के सदस्यों को 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगी। • सभी जिलों ने बीपीएल परिवारों के लिए 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' अपनाई है। • राज्य सरकार ने 117 आदर्श स्कूल स्थापित करने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है जिसमें निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक स्कूल होगा।	• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य भर में कार्यान्वित की जाएगी। • भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए 9 नये कम ऊंचाई वाले बांधों का निर्माण और पानी के जमाव को रोकने से संबंधित कार्य प्रस्तावित है। • राज्य ने तीन नये तापीय विद्युत संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। • राज्य में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के लिए 20 क्लस्टर बनाया जाना प्रस्तावित है। • वर्तमान वर्ष के लिए परियोजना प्लान के अंतर्गत फगवाड़ा से चंडीगढ़ तक सड़कों का विकास, सिधवान नहर के साथ-साथ लुधियाना के दक्षिणी बाईपास का विकास, आरओबी, मोहाली, जालंधर और अमृतसर के लिए रिंगरोड का विकास प्रस्तावित है।	• सभी सरकारी कर्मचारी 1 अगस्त 2009 से नए वेतनमान पाना शुरू कर देंगे। पांचवें वेतन आयोग की अन्य सिफारिशों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। • अत्याधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाने हेतु बाह्य विकास प्रभारों (ईडीसी), लाइसेंस/अनुमति शुल्कों और भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्रभारों के संग्रहण के लिए एक व्यापक नीति प्रस्तावित है। • जेंडर बजट शुरू करने के लिए प्रयास किये गये हैं।	• राज्य सरकार वर्तमान वर्ष में सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में बच्चे को जन्म देने के लिए प्रति गरीब परिवार को 1500 रुपए देगी। • इस वर्ष 'नन्ही छान' कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं के लिए एक योजना प्रस्तावित है। सरकार गरीब परिवार में जन्मी प्रत्येक बालिका के लिए एलआइसी में 13,000 रुपए जमा करेगी। • एलआइसी प्रायोजित बीपीएल के लिए जनश्री बीमा योजना और ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना शुरू करना प्रस्तावित है, जो आकस्मिक मृत्यु के लिए 75,000 रुपए और नैसर्गिक मृत्यु के लिए 30,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगी। • जून 2010 तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। • शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 21 मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव।	• 'फसल उत्पादन' के लिए 140 करोड़ रुपए का समग्र परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। • 1,000 गांवों के तालाबों के पुनरुद्धार के लिए और 100 गांवों में मल निकास प्रणाली के लिए भी प्रावधान किया गया है। • अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप नये कस्बा योजना मानदंड कस्बों के विकास के लिए लागू किये गये हैं। मास्टर प्लान बनाने के लिए 30 कस्बों की एक सूची बनाई गयी है।		अंतर्गत 4 लाख ग्रामीण परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे जिसमें 1.5 लाख बीपीएल परिवारों के एकल पॉइंट कनेक्शन भी शामिल होंगे। • सभी 4,965 उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी।
22. राजस्थान	• स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रस्तावों में ग्रामीण क्षेत्रों में 537 नये स्वास्थ्य केन्द्र, 9 जिलों में आइसीयू, 18 जिलों में ट्रॉमा इकाइयां और 18 जिलों में पुनर्वास केन्द्र खोलना शामिल है। • 2009-10 में 15 आयुर्वेदिक, 5 होम्योपैथिक और 10 यूनानी अस्पताल खोलना तथा जयपुर में भी हृदय संस्थान खोलना। • एससी/एसटी वर्ग से संबंधित छात्राओं के लिए 13 जिलों में 'बाबू जगजीवनराम योजना' के अंतर्गत छात्रावास बनाए जाएंगे। • राज्य सरकार अल्पसंख्यकों द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम से कारोबार के लिए लिये गये ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान करेगी। • अस्थायी कार्य के लिए उपयोग करने के बजाय स्थायी आस्तियों के निर्माण के लिए	• 5,000 कि.मी. की सड़कों का उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जाएगा। • 1,127 करोड़ रुपए लागत वाली 13 मेगा जल परियोजनाओं, 50 मेगावाट सोलर पॉवर की दो परियोजनाओं और 27 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना। • एक नयी औद्योगिक और निवेश नीति बनाना। • राजस्थान वित्त निगम को मजबूत बनाना, यह निर्णय लिया गया है कि सिडबी और राज्य सरकार से लिए गये ऋणों को इक्विटी में रूपांतरित किया जाए और प्राधिकृत पूंजी को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। • बेहतर संरक्षण और खनिज संसाधनों के उपयोग के लिए नई खनिज नीति की घोषणा की गयी है।	• राजस्व के स्रोतों का पता लगाने और कर वंचन को रोकने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय बनाने का प्रस्ताव। • प्रत्येक कर मूल्यांकन अधिकारी के स्तर पर कर सहूलियत केन्द्र बनाए जाएंगे। • अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए बिजली शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं। • भवनों और विद्यालयों के विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयुक्त पत्थरों पर कर दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाए। • पशुपालन के लाभ के लिए तेल - विहीन चावल की भूसी (डीओआरबी) को कर मुक्त किया जाए। • कतिपय कर मुक्तियों के अधीन सभी खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव। • अचल संपत्ति पर स्टैम्प शुल्क को 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना और इसे	• 540 चिकित्सा अधिकारी और 1400 गैर-चिकित्सा तथा नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करना। • एक नयी 'वन नीति' और 'अवनत जंगलों के पुनरुद्धार के लिए विजन दस्तावेज' बनाना। • वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए 'वरिष्ठ नागरिक बोर्ड' बनाना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	नरेगा के अंतर्गत प्राप्त निधियों का उपयोग करना। • प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करना। • 10 आइटीआइ में विश्व बैंक द्वारा निधीकृत 'व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना' को कार्यान्वित करना। • राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना करना। • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय समूह वाले लोगों के लिए आवास प्रदान करने पर फोकस करते हुए एक नयी आवास नीति तैयार करना।		महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाएगा। • हवाई सेवाओं को आकर्षित करने के लिए ईंधन और एविएशन स्पिरिट पर कर दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। • पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिदिन 3,000 रुपए किराये वाले कमरे पर विलासिता कर से मुक्ति देना प्रस्तावित है। • तंबाखू और संबंधित उत्पादों पर कर दर को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना। • पावर शुल्क की प्रत्येक इकाई पर 10 पैसा जल संरक्षण उपकर लगाना।	
23. सिक्किम	• स्वास्थ्य क्षेत्र में, व्यवहार्य स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करना, विशेष सुविधा वाले 500 बिस्तर क्षमता के अस्पताल का निर्माण और टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। • मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, बीपीएल परिवारों को 4 किलो मिश्रित दाल का मासिक रूप से निःशुल्क वितरण तथा सभी जरूरतमंद लोगों को चश्मे और श्रवण यंत्र निःशुल्क दिये जा रहे हैं। • सोरेंग में एक बी.एड़. कॉलेज तुरंत खोलना तथा नामची में एक और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआइईटी) स्थापित करना। • सरकार के पास एक अनाथ आश्रम खोलना प्रस्तावित है।	• व्यापक रूप से परिभाषित ग्राम विकास कार्रवाई कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्लू प्रिंट तैयार करना। • गांव के सभी झरनों की पैमाइश का कार्य शुरू किया गया जिससे मूल्यवान जल संसाधन को सूखने से बचाया जा सके। • देश भर में न्यायिक प्रणाली का भौतिक इन्फ्रास्क्टचर विकसित किया जा रहा है। • सजातीय पर्यटन कारोबार में लगे गांवों को आवास सुविधाओं और साफ-सफाई की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।	• राज्य में वित्तीय समावेशन परियोजना के अंतर्गत 1 लाख परिवारों को प्रायोजित करने का प्रस्ताव। • किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अच्छे निजी बैंक के कारोबार संपर्की मार्ग के माध्यम से परिवार के किसी महिला सदस्य के नाम नो फ्रिल बैंक खाते की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए सरकार मूल राशि के रूप में अनुदान प्रदान करेगी।	• ज्ञान आयोग बनाया गया है। • खेलों को बढ़ावा देने के लिए, नामची मे स्टेडियम बनाना प्रस्तावित है। • हैबिटेट केंद्र, राज्य कला दीर्घा और एक राज्य संग्रहालय तथा राज्य सचिवालय के लिए एक एनेक्सी भवन बनाना प्रस्तावित है। • राज्य के प्रत्येक कोने तक पहुँचने के लिए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और जागृति अभियान के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
24. तमिलनाडु	• तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के माध्यम से 100 गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों को अन्य सहायक उपायों के साथ-साथ 5,000 संकर नस्ल वाले दुधारू जानवर दिए जाएंगे। • तूर दाल, उड़द दाल, पाम तेल और गेहूं के आटे जैसी आवश्यक वस्तुएं विशेष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती हैं और 'उचित मूल्य पर मसाले' की योजना के अंतर्गत 50 रुपए मूल्य के दस खाना पकाने के मसाले दिए जा रहे हैं। • आगामी वित्तीय वर्ष में 5,000 स्कूलों में सुधार का कार्य किया जाएगा, 421 सरकारी उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाबार्ड की सहायता से बनाए जा रहे हैं। • 2500 मिडिल स्कूलों में कम्प्यूटर प्रदान किये जाएंगे। केन्द्र सरकार की माध्यमिक शिक्षा के लिए नयी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए के परिव्यय से उच्च स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारा जाएगा। • मूवलूर रामामृतम अम्माअय्यर स्मारक विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी है ताकि 75,000 गरीब लड़कियों को लाभ मिल सके। • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी वृद्ध व्यक्तियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना केन्द्र सरकार के साथ संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है।	• सभी 385 खंडों में 'एग्रीक्लीनिक' खोले जा रहे हैं जिससे वे एक स्थान पर किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर सकें। • राष्ट्रीय बागवानी मिशन मदद से किसानों को अधिक लाभकारी बागवानी फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। • 388 करोड़ रुपए की राशि 10.4 लाख प्रभावित किसानों को मुआवजे के तौर पर वितरित की जा रही है। 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में इस वर्ष लगान माफ किया जाएगा। • 25 लाख किसानों को सब्सिडी दी जाएगी जिससे फसल बीमा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में उनकी फसलों का बीमा किया जा सके। • विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरुद्धार तथा प्रबंधन परियोजना (आइएएमडब्ल्यूएआयएम) के अंतर्गत, वर्ष के दौरान 38 और उप बेसिनों में कार्य शुरू किया जाएगा। • करूर, त्रिची, अरियालूर जिलों की कावेरी और कोलेरून नदियों में बाढ़ के लिए स्थायी बाढ़ सुरक्षा कार्य 211 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। • चैन्ने शहर में बाढ़ को रोकने के लिए, 1448 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक बड़ी परियोजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत अनुमोदित की गयी है।	• उन सभी किसानों से इसके पश्चात सहकारी फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा जो आगामी वित्तीय वर्ष से समय पर अपने कृषि ऋण की चुकौती करेंगे। • केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन के अलावा सरकार ने क्रमशः धान की उत्कृष्ट और सामान्य किस्म के लिए 120 रुपए और 100 रुपए प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन प्रदान किया है। • तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए स्थानीय निकायों को निधियों का न्यागमन वर्तमान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी वित्तीय वर्ष में 9.5 प्रतिशत किया जाएगा। इसके कारण स्थानीय निकायों को अतिरिक्त रूप से 187 करोड़ रुपए मिलेंगे। • स्थानीय निकायों में, न्यागमन, समनुदेशित राजस्व और कार्यक्रम संबंधी सहायता के रूप में निधियों का आंबटन बढ़ाकर 6,928 करोड़ रुपए कर दिया गया है। • इसके बाद 'लगान' के रूप में केवल एक सांकेतिक राशि लगाई जाएगी तथा वर्तमान जटिल प्रणाली को भी सरल बनाया जाएगा, वर्तमान में 15 रुपए प्रति एकड़ की औसत वसूली के स्थान पर शुष्क भूमि पर 2 रुपए प्रति एकड़ लगान तथा वर्तमान में 50 रुपए प्रति एकड़ की औसत वसूली के स्थान पर गीली भूमि के लिए 5 रुपए प्रति एकड़ लगान आगामी वर्ष से वसूल किया जाएगा।	• स्वयं सहायता समूहों की संख्या को बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा। इन नये समूहों को चक्रीय निधि उपलब्ध कराई जाएगी। • पांच जिलों में जिला कलेक्टर कार्यालय के कम्प्यूटराइजेशन के लिए ई-जिला कार्यक्रम लागू किया जाएगा। • तीन प्रमुख विभागों अर्थात खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और कोषागार विभाग में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की जाएगी। • 68 लाख जानवरों को लाभ पहुंचाने वाले 55,000 पशु चिकित्सा शिविर पशुधन सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में आयोजित किये जाएंगे। • तमिलनाडु कृषि श्रमिक कल्याण बोर्ड को पुनर्जीवित किया जा रहा है और विभिन्न लाभ अर्थात विवाह, शिक्षा और पेंशन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। • अंतरराष्ट्रीय मानक का एक आधुनिक राज्य पुस्तकालय चेन्नै में स्थापित किया जाएगा। • 11,284 ट्रान्सफार्मर और 45,911 कि.मी. की नई इलेक्ट्रॉनिक लाइन 447 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई जाएगी तथा लगभग 5.5 लाख ग्रामीण परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली प्रदान की जाएगी। • 8,000 ग्रामीण निवासियों को सुरक्षित पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जाएगी। • 50 कस्बों के लिए 30 संयुक्त जलापूर्ति योजना और पेय जल सुधार योजना को लाया जाएगा।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• तमिलनाडु अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के माध्यम से अल्प संख्यक समुदाय के 10,000 लोगों को 30 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। • पेंशनभोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की अंतिम सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। इसके अलावा, पेंशनर की पति / पत्नी को भी इस योजना में शामिल किया गया है।	• 408 करोड़ रुपए की भूमिगत सीवेज प्रणाली को अंजाम दिया जाएगा। • चेन्नई मेट्रो रेल की आधार शिला जल्द ही रखी जाएगी। • 401 करोड़ रुपए की लागत से 2500 और ग्राम पंचायतों में सड़कों को सुधारा जाएगा। • 1,750 रुपए की लागत पर सभी जिलों में एनआरईजीएस को लागू किया जाएगा। • 40 हजार करोड़ रुपए की लागत से एक नया फिशिंग हार्बर विकसित किया जाएगा।	• बुनकर सहकारी समितियों को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी को संशोधित किया गया है एवं उसे 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। • वैट दर को बड़ी संख्या में मदों पर से हटा दिया गया है।	• एकीकृत आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त 21,000 नए घर बनाए जाएंगे। • गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए 1,35,000 कंक्रीट के घर बनाए जएंगे। • वृद्ध लोगों के लिए विशिष्ट उपचार प्रदान करने के लिए एवं वृद्धावस्था की बीमारियों के लिए अनुसंधान कार्य करने हेतु सुविधा संपन्न नेशनल सेंटर फॉर जेरिआट्रिक्स रिसर्च को सरकार की मदद से 112 करोड़ रुपए की लागत से कलाइगनार करुणानिधि नगर में स्थापित किया जाएगा। • तमिलनाडु वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।
25. त्रिपुरा	• मानवशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। • गरीबी रेखा से नीचे के IX एवं X के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और नोटबुक उपलब्ध कराए जाएंगे। • और अधिक सामान्य महाविद्यालय और इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। • छात्रों को छात्रवृत्ति / व्यवसायोन्मुखी / व्यावसायिक महाविद्यालयों में भेजना/ अनुसूचित जाति, जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार दिया जाना जारी रहेगा। • 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 उप-संभागीय अस्पताल एवं 3 जिला अस्पताल बनाए जाएंगे।	• वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत 780 लघु डेरी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। • जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए कुछ परियोजनाएं / योजनाएं लाई जाएंगी। • शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषित रोजगार सृजन कार्यक्रम को लाना। • बोधजुगनगर ग्रोथ सेंटर में फूड पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क और बैम्बू पार्क के लिए औद्योगिक अवसंरचना स्थापित की जा रही है। • एनएच-44 के समीप बड़े भूमि क्षेत्रों की पहचान की जा रही है एवं उन्हें औद्यगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है ।	• त्रिपुरा ने एक राज्य समर्थित स्कीम आरंभ की है ताकि स्वयं सहायता समूहों को आसान ऋण उपलब्ध कराया जा सके। • सीवरेज निपटान परियोजना, कॅाम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान , अगरतल्ला के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत जल आपूर्ति के प्रस्ताव आरंभ किए गए। • सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए मास्टर प्लान की तैयारी आरंभ की गई है।	• इंडो-जर्मन परियोजना अंतिम चरण में है एवं उजड़े हुए जंगलों को पुन: लगाने के लिए इसका आरंभ किया जाना संभावित है।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
26. उत्तराखंड	• गरीब वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों के लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'देव भूमि मुस्कान' योजना को आरंभ करना। निजी क्षेत्र के विद्यालयों की सहभागिता से एक वाउचर स्कीम को भी प्रत्येक जिला मुख्यालय में आरंभ किया जाना है। • सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में लड़कों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा को मौजूदा आठवीं कक्षा से बढ़ाकर बारहवीं तक कर दिया गया है। • कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एवं लड़कियों को आर्थिक और शैक्षिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'नंदा देवी कन्या स्कीम' शुरू करना। • एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। • शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रत्येक महिला अस्पताल में नवजात शिशु इकाइयों की स्थापना।	–	• शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त करने का प्रस्ताव है। • बिना कब्जा के करार पर स्टाम्प ड्यूटी को 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया जाता है। • वैट प्रक्रियाओं के सरलीकरण, ई-पेमेंट सुविधा के विस्तार,ई-फाइलिंग को आरंभ करने एवं विभिन्न प्रपत्रों को डाउनलोड करने की सुविधा के लिए कंप्यूटरीकरण प्रस्तावित है।	• जमीनी स्तर पर अच्छे कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तीसरी पार्टी के विशेषज्ञों के माध्यम से विकासात्मक स्कीमों / कार्यक्रमों का गहन मूल्यांकन। • 'राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण' का गठन ताकि गंगा और इसकी सहायक नदियों को प्रदूषणमुक्त बनाया जा सके। • हिन्दी भाषा के संरक्षण एवं इसके विकास के लिए भाषा संस्थान एवं हिन्दी अकादमी की स्थापना करना।
27. उत्तर प्रदेश	• समाज के विभिन्न वर्गों के विकलांग छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए डॉ शकुन्तला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना। • लड़कियों की बेहतरी के लिए एवं उन्हें समाज में स्वतंत्र बनाने के लिए, बच्चियों की पैदाइश के प्रति एक सकारात्मक मानसिकता बनाने के लिए एवं लड़कियों के वयस्क होने पर ही	• नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा फतेहपुर में 2000 मेगावाट की विद्युत परियोजना का आरंभ। • विद्युत उत्पादन एवं इसके पारेषण के उन्नयन पर प्रमुख बल देने के साथ ऊर्जा क्षेत्र को उच्च तरजीह देना। • उच्च गुणवत्ता वाली बस प्रणाली एवं राज्य में यातायात	• कृषकों को राहत प्रदान करने के लिए अनुदान की राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करना। • जैव खाद पर सब्सिडी को बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि कृषकों के मध्य इसके प्रयोग को बढ़ाया जा सके क्योंकि यह दीर्घकालिक उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है।	• विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मूल्यांकन के लिए 'राज्य गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी' की स्थापना।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	उनकी शादी करने को प्रोत्साहन देने के लिए 'महामाया गरीब लड़की आशीर्वाद योजना' आरंभ करना। • लखनऊ में अरबी -फारसी विश्वविद्यालय खोलना प्रस्तावित है। • कानपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोलना। पांच नए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी प्रस्तावित हैं। • इंजीनियरिंग के छात्रों की दक्षता के विकास के लिए वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना।	को सुधारने के लिए उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन यात्री अवसंरचना विकास निगम की स्थापना। • दिल्ली से नोएडा के बीच मेट्रो रेल प्रणाली की स्थापना। कानपुर एवं लखनऊ को भी मेट्रो से जोड़ने का प्रस्ताव है। • पॉवर लूम क्षेत्र के मजदूरों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के लिए 'एकीकृत विकास एवं आधुनिकीकरण योजना' आरंभ की जाएगी ।	• ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर वैट को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया है।	
28. पश्चिम बंगाल	• राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 2 रु. प्रति किलो की दर पर चावल का वितरण करना प्रस्तावित। • निवारक स्वास्थ्य उपाय के रूप में, स्वच्छ शौचालयों के साथ पीने के साफ पानी की आपूर्ति पर बल दिया गया है। • यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य डिग्री महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्रांगणों में मौजूदा विनियमों के तहत प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा पर जितने अधिक पाठ्यक्रम हो सकें, किए जाएँ, ताकि छात्रों के लिए सापेक्षिक रूप से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध हो सकें। • पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास प्रभार सुविधाओं की मात्रा एवं उन तक पहुंच को बढ़ाने के अतिरिक्त पुस्तक	• 23 फरवरी 2009 को स्कीमों के राज्य स्तरीय पैकेज की घोषणा की गई। इनमें से कुछ स्कीमें वर्ष विशिष्ट हैं जिनके लाभ चालू वर्ष से ही आरंभ हैं, अन्य का क्रियान्वयन एक वर्ष से अधिक की अवधि में होगा। • प्रत्येक जिले में डाउनस्ट्रीम इकाइयों की स्थापना के माध्यम से, 10 से 12 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन होगा। • महत्वपूर्ण बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने कृषकों से सापेक्षिक रूप से बंजर भूमि को उचित दामों पर खरीद कर एक लैंड बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है। • लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों के समूहों के लिए अवसंरचना के विकास को प्राथमिकता दी गई है ताकि प्रत्येक जिले के लिए नई लघु उद्योग इकाइयां एवं	• हथकरघा बुनकरों के ऋणों के बोझ में कमी करने के माध्यम से सरकार हथकरघा उद्योग के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। • बंद एवं बीमार उद्योगों के पुनरुत्थान पर, विशेष रूप से बीआइएफआर के समक्ष अपने देकर, कर राहत प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। • सरकारी और गैर विद्यालयों में कार्यरत आंशिक शिक्षकों, अंशकालिक शिक्षकों के लिए मासिक पारिश्रमिक। • पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं और वेतन के ऐरियर को तीन वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा जो 2009-10 से प्रारंभ होगा और उसी वर्ष में पेंशन के ऐरियर और ग्रेच्युटी की भी अदायगी की जाएगी, इस मद में 2009-10	• स्थानीय लोगों को शामिल करके जंगलों को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है साथ ही साथ उनकी आय को भी बढ़ाया जा रहा है। • राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए के आबंटन के माध्यम से ग्राम स्तर तक सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है। • नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत रूप में इन सभी क्षेत्रों में योजना स्कीमों के कार्यान्वयन एवं निर्माण में स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक शामिल किया जाएगा।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	अनुदान की सीमा को और अधिक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 22 पंडित रघुनाथ मुर्मू विद्यालयों की स्थापना का फैसला भी लिया है। • अजा / अजजा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन पर बल दिया गया है। • ग्यारहवीं योजना (2007-2012) के अंतर्गत प्रत्येक गांव के हर घर तक बिजली पहुंचाने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अब अंतिम तारीख निश्चित कर दी है। • गरीब एवं कम आय वाले लोगों के लिए आवास के निर्माण एवं विकास के लिए एक नई योजना। • मछुआरों के लिए व्यवसाय के संवर्धन एवं आय के सृजन, स्वयं सहायता समूहों के व्यापक सृजन, कम लागत में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन, उन्नत बीजों के प्रयोग, प्रशिक्षण एवं विपणन में सहायता और जल क्षेत्रों के विस्तार पर जोर दिया गया है।	साथ ही साथ पारंपरिक उद्योगों का विकास किया जा सके। • 5 विशिष्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना के साथ, 12 फूड पार्कों के निर्माण के प्रयास भी किए गए हैं, जिसमें मंदी से निपटने के लिए आंतरिक बाजार पर बल दिया गया है। • लघु सिंचाई, विशिष्ट रूप से सतही जल आधारित लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया गया है। • राज्य सरकार ने 20 जैविक ग्रामों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। • निचले दामोदर क्षेत्र और घिया-कुंती घाटी के एक हिस्से के लिए जल निकासी की स्कीम आरंभ की गयी। • दूध, अंडे और मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों पर बल, कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षण, जानवरों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, बर्ड-फ्लू के विरुद्ध निवारक उपायों के भी प्रस्ताव किए गए हैं। • सड़कों एवं पुलों के व्यापक विकास के लिए राज्य परिवहन निगमों को चालू वर्ष में आरंभ किए जाएगा। • पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर परियोजना नाम की केन्द्र-राज्य द्वारा संयुक्त रूप से संचालित परियोजना का आरंभ भी किया गया है।	में लगभग 9,670 करोड़ रुपए का व्यय होगा। • राज्य सरकार ने महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन ढाँचे के संशोधन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है एवं ऐसे संशोधन के लिए 20 प्रतिशत हिस्से को वहन करने की सहमति जताई है। वेतन एवं पेंशन के संशोधन के संबंध में 2009-10 के दौरान कुल अतिरिक्त व्यय लगभग 10,000 करोड़ रुपए होगा। • रोजगारोन्मुखी शिक्षण प्रदान करने एवं उद्योगों की स्थापना के कारण हुए भूमिहीनों को अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की एक विशिष्ट सहायता निधि का सृजन किया जाएगा।	

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	• आइटीआइ में शारीरिक रूप से विकलांग एवं अनाथ छात्रों के शिक्षण शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव है। • महावीर विकलांग सेवा संस्थान के साथ एक करार किया गया है जिसके अंतर्गत विकलांग लोगों को मुफ्त सहायता एवं उनके प्रयोग की वस्तुएं उपलब्ध करायी जाएंगी एवं लगभग 50,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे। • 0 से 18 वर्ष के बीच के विकलांग बच्चों के अभिभावकों को 1,000 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी है। • मूक-बधिर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है। • निराश्रय महिलाओं की देखभाल के लिए एक सहायता केन्द्र स्थापित करने एवं उनके पुनर्वास हो जाने तक भत्ते के रूप में प्रति माह 1,000 रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। • सरकार चार जिला स्तरीय विकलांग पुनर्वास सहायता केन्द्र स्थापित करेगी। • वृद्ध नागरिकों के लिए 50 नये मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।	• अक्तूबर 2010 से पहले, फेज II के सभी 11 कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे और दिल्ली मेट्रो 185 कि.मी. के नेटवर्क में अपनी सेवा प्रदान करना आरंभ कर देगी। • 2010 की समाप्ति तक ओखला स्थित 20 एमजीडी के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं द्वारका स्थित 50 एमजीडी के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य संपन्न हो जाएगा। • कॉमनवेल्थ खेलों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन होगा। • जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस घरों के निर्माण के लिए 15 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।	• होटलों पर लगने वाले विलासिता कर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। • उत्पाद क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक व्यापक पहल की गयी है एवं तदनुसार शुल्क संरचना के सरलीकरण को शामिल करते हुए एक नया विधेयक लाया जाएगा। • अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू करने की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है।	• 101 कि.मी. लंबाई के ट्रंक सीवर, जिसमें मिट्टी बैठी हुई है, को दिसंबर 2009 तक निपटाया जाएगा। • 'इंटरसेप्टर' सीवर प्रणाली को प्रमुख नालों के साथ-साथ बिछाया जाएगा ताकि साफ किया गया पानी ही यमुना में छोड़ा जाए। • भारत सरकार द्वारा 1815 करोड़ रुपए की लागत पर राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत शहरी गरीब लोगों के लिए लगभग 65,000 घरों के निर्माण की 15 योजनाएं अनुमोदित की गयी हैं। • चार स्थानों में नये अस्पताल खोलने के लिए जमीनें खरीद ली गयी हैं। • दिल्ली को तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित करना है। • निर्माण मजूदरों के कल्याण के लिए आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई करने वाले उनके बच्चों के लिए 100 रुपए प्रति माह, IX और X कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 250 रुपए प्रति माह और ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह, अंडर ग्रेज्युएशन के लिए 1500 रुपए प्रति माह और तकनीकी पाठ्यक्रम वालों के लिए 5000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रस्तावित है।
30. पुदुचेरी	• बुनकर परिवारों के बच्चों को शिक्षा जारी रखने के लिए एवं गरीब छात्रों के लिए अन्य सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • कराइकनाल में एक आवासीय विद्यालय एवं मछुआरा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।	• विल्लानूर और बहोर 110/22 किलोवाट सब स्टेशन के बीच 110 किलोवाट की लाइन को मजबूत करने का प्रस्ताव है। • विभिन्न नदियों के तल में बांध बनाए गए हैं ताकि भूमिगत जल के स्तर को बढाया जा सके।	• केंद्र के छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। • सभी मछुआरों को बिक्री कर से छूट दी जाएगी। • मशीनों द्वारा चालित बोट मालिकों द्वारा प्रति वर्ष प्रति बोट प्राप्त अधिकतम 25000 लीटर	• सभी विपणन यार्डों को एनआइसीएनईटी के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है। • भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नाम पर एक मॉडल ग्राम स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी।

अनुबंध 1 : राज्य बजट 2009-10 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों एवं गरीब युवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक अत्याधुनिक कारीगरी विद्यालय आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है। • आन्ध्र प्रदेश में दौलेश्वरम से पुदुचेरी तक पानी लाने के लिए पाइप लाइन बिछाने का काम आरंभ होगा। • राज्य विधान सभा में पुदुचेरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का विधेयक लाया गया है। • करैकनाल क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।	• पांडिचेरी टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लि. और स्वदेशी भारती टेक्सटाइल मिल्स लि. के कर्मचारियों को संशोधित सेवा शर्तों के साथ नए वेतन दिए जाएंगे। • 153 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चार आवासीय परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। • इस वर्ष के दौरान गैर परंपरागत ऊर्जा पार्क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। • राज्य में आइटी एवं आइटीईएस की तेज वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।	एचएसडी तेल पर लगने वाले समग्र बिक्री कर में हाजिर छूट प्रदान की जाएगी। • पुदुचेरी एवं करैकनाल सहकारी निर्माण केंद्रों द्वारा बेची गई निर्माण सामग्री को वैट से छूट दी गई है। • महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज संबंधी सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी, बशर्ते इसकी शीघ्र चुकौती की जाए।	• तटीय ग्रामों के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी निवासियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक फोटो पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। • गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त टीवी बांटे जाएंगे। • करैकनाल क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर नालियों के लिए एक व्यापक सुधार स्कीम लाई जाएगी। • बोटेनिकल गार्डेन, मनोरंजन पार्क और तालाबों का विकास किया जाएगा।